अध्याय १६

शास्तियाँ

४६०—कुछ अपराध, जिनमें जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है— (१) जो भी व्यक्ति—

(क) अनुसूची ३ की सारिणी के भाग १ के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खण्डों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करें ; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खण्डों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न कर ;

तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

(२) जो भी व्यक्ति—

(क) अनुसूची ३ की सारिणी के भाग २ के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खण्ड़ों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने ; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खण्ड़ों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आज्ञा का अनुपालन न करने

के कारण सिद्धदोष (बवदअपबजमक) हो जाने के पश्चात् भी बराबर उक्त उपबन्ध का उल्लंघन अथवा उक्त आदेश का अनुपालन करने में उपेक्षा करता रहे या उक्त उपबन्ध के उल्लंघन में किये गये किसी निर्माण–कार्य या वस्तु को न हटाये या ठीक न करे, जैसी भी स्थिति हो, या किसी भू–गृहादि को रिक्त न करे, तो उसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब तक वह उक्त अपराध करता रहे अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

४६१—पीनल कोड के अधीन दण्डनीय अपराध— (१) जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारिणी के पहले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे और जो भी व्यक्ति उक्त किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये उसी आदेश का अनुपालन न करे, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो इण्डियन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दण्डनीय है जो क्रमशः उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिष्ट की गई है जिसके अधीन उस व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा अर्थात्—

इस अधिनियम की धाराये जिनके अधीन अपराधी दण्डनीय है।	इण्डियन पीनल कोड की वे धारायें
[२६७ (३)][ख१], ४००, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ),(ङ) और (च)	२७७
४११	१८८
५५६	१७७

(२) जो भी व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा विधितः दिये गये किसी ऐसे आदेश, नोटिस अथवा आज्ञा का अनुपालन नहीं करता, जो किसी भवन के वार्षिक मूल्य की निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना देने अथवा लिखित विवरणी (तमजनतद) के सम्बन्ध में हो या किसी निगम कर के लगाये जाने (समअल) या निर्धारण के सम्बन्ध में हो, या जो भी वयक्ति ऐसी सूचना दे या ऐसी विवरणी तैयार करे, जिसके विषय में वह यह जानता हो कि वह असत्य, अशुद्ध या भ्रामक (उपेसमंकपदह) है, तो यह समझा जायेगा कि उसने इण्डियन पीनल कोड की, यथास्थिति, धारा १७६ या १७७ के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

४६२—[ख२]**[' ']**

४६३— संविदा आदि के स्वत्व अर्जित करने वाले सदस्य या नगर प्रमुख को दण्ड— निगम का कोई सदस्य या नगर प्रमुख, जो विहित प्राधिकारी का लिखित अनुज्ञा के अननुकूल जानबूझ कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अपने साझीदार द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर किसी संविदे या नियोजन (contract or employment) में कोई अंश (share) या स्वत्व (intrest) अर्जित करे, उसे बराबर बनाये रखे, तो यह समझा जायेगा कि इण्डियन पीनल कोड की धारा १६८ के अधीन अपराध किया है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने किसी संविदे या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किया है या उसे बराबर बनाये रखा हैं, यदि वह केवल—

(क) भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे विक्रय अथवा क्रय में अथवा उसके लिये किसी अनुबन्ध में कोई अंश अथवा स्वत्व र खता हो ; परन्तु ऐसा अंश अथवा स्वत्व उसके सदस्य अथवा नगर प्रमुख बनने के पूर्व ही अर्जित किया गया हो ; अथवा

(ख) किसी ऐसे संयुक्त सम्भार समवाय (joint stock company) में कोई अंश रखता हो जो निगम के साथ संविदा करेगा अथवा निगम द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगा ; अथवा

(ग) किसी ऐसे समाचार–पत्र में अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसमें निगम के कार्यो से सम्बद्ध कोई विज्ञापन दिया जाता हो ; अथवा

(घ) कोई ऋण–पत्र (debenture) रखता हो अथवा नियम द्वारा अथवा उसकी ओर से उगाहे गये (raised) ऋण में

अन्यथा कोई स्वत्व रखता हो ; अथवा

(ङ) निगम द्वारा विधिक व्यवसायी (legal practitioner) के रूप में बनाये रखा गया हो, (retained) ; अथवा

(च) किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसका वह निगम के साथ नियमित रूप से किसी एक वर्ष में ऐसी धनराशि से अनषिक का व्यवसाय करता हो, जिसे निगम राज्य सरकार की स्वीकृति से एतदर्थ निश्चित करे ; अथवा

(छ) जल संभरण के लिये, जिसका शुल्क लिया जाता हो, निगम के साथ किये किसी अनुबन्ध (agreement) में कोई पक्ष (party) हो।

४६४—संविदा आदि में कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध— (१) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निगम कर्मचारी से भिन्न किसी रूप में स्वयं या अपने साझीदार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निगम के साथ उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा निगम के साथ, उसके द्वारा, उसके अधीन अथवा उसकी ओर से किसी नियोजन में, कोई अंश या स्वत्व रखे, उक्त निगम का कर्मचारी बना रहने के लिए अनर्ह होगा।

(२) ऐसा निगम कर्मचारी, जो स्वयं अथवा अपने साझीदार द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त किसी संविदे अथवा नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे अथवा बनाये रखे तो वह निगम कर्मचारी न रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायगा।

(३) ऐसा निगम सेवक (servant), जो किसी निगम, जिसका वह कर्मचारी है, के साथ अधीन अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा उस दशा को छोड़कर जब संविदे का सम्बन्ध किसी निगम कर्मचारी के रूप में उसे नियोजन (employment) से हो किसी नियोजन में जानबूझकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश (share) या स्वत्व अर्जित करता है (accquires) अथवा बनाये र खता है, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा १६८ के अधीन अपराध किया है।

(४) इस धारा की कोई भी बात निगम के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये किसी ऐसे संविदे अथवा नियोजन में, जो धारा ४६३ के प्रतिबन्ध के खण्ड (ख), (घ) तथा (छ) में निर्दिष्ट हो, किसी अंश तथा स्वत्व के सम्बन्ध में अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, क्रय या विक्रय में अर्जित किये अथवा बनाये रखे गये किसी अंश अथवा स्वत्व के, अथवा संदर्भ किये गये किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में लागू न होगी।

[४६४—क—धारा ११२—ग और ११२—घ का उल्लंघन करने के लिये दण्ड— जो भी व्यक्ति, धारा ११२—ग या धारा ११२—घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिये अनुत्तेजित करता है, तो सिद्ध—दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक का हो सकता है अथवा अर्थ—दण्ड दिया जायगा, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेगे।][रख३,]

४६५—धारा २६७ के प्रतिकूल किये गये अपराधो के लिये दण्ड— (१) जो भी व्यक्ति धारा २६७ की उपधारा [(२)][रख४,] के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, उसे दोष—सिद्ध होने पर, एक मास तक का कारावास दण्ड अथवा १०० रूपये तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों ही दण्ड दिये जा सकते हैं।

(२) जब कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन सिद्ध—दोष होता है तो दोष—सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन को तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आशा दे सकता है, जिसके सम्बन्ध में उक्त दोष—सिद्धि (convietion) की गयी हो।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन की गयी किसी आज्ञा का पालन न किया जाय अथवा उसके संपादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति का दोष सिद्ध हाने पर, एक महीने का कारावास दण्ड अथवा १०० रूपये तक का अर्थ—दण्ड अथवा दोनों ही दण्ड दिये जा सकते है।

४६६—[रख५,]**[* * *]**

४६७— सामान्य शस्ति— जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी नियम, उपविधि,

विनियम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या नोटिस का उल्लंघन करे अथवा ऐसे किसी उपबन्ध के अधीन विधितः दी गयी किसी आज्ञा का पालन करने में असफल रहे, तो यदि इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन अथवा असफलता के लिए किसी शस्ति की व्यवस्था न की गयी हो, उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये १०० रूपये का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष–सिद्धि के उपरान्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि उक्त उल्लंघन अथवा असफलता जारी रहे, २५ रूपये तक का अर्थ–दण्ड दिया जा सकता है।

४६८– स्वामियों के अभिकर्त्ताओं तथा न्यासियों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में शास्ति की आयति– कोई भी व्यक्ति, जो धारा २ के खंड (५२) के उपखंड (क) की कंडिका (१), (२) तथा (३) में वर्णित किसी भी रूप में भू–गृहादि का किराया प्राप्त करता है, उक्त भू–गृहादि के स्वामी के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के न करने के लिए किसी शास्ति का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि चूक (default) इसी कारण हुई है कि अपेक्षित कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, उसके पास स्वामी की अथवा स्वामी की देय पर्याप्त धनराशि न थी।

४६९– समवाय (companies) आदि द्वारा किए गए अपराध– इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि कोई समवाय, निगमित संस्था अथवा व्यक्तियों का संघ (चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) या फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री, अभिकर्त्ता या अन्य किसी पदाधिकारी अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी व्यक्ति तथा फर्म के प्रत्येक हिस्सेदार जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी अथवा सहमति से किया गया है, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उक्त अपराध का दोषी है।

४७०– इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषो व्यक्तियों द्वारा की गई क्षति के लिए उनके द्वारा देय प्रतिकर– (१) यदि कोई कार्य करने या न करने (omission) के कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के प्रतिकूल किसी अपराध में सिद्ध–दोष हुआ हो और उस व्यक्ति के उक्त कार्य करने अथवा न करने के कारण निगम नियम की किसी सम्पत्ति की कोई क्षति पहुंची हो, तो उक्त अपराध के लिए उस व्यक्ति को दण्ड दिए जा चुकने पर भी उसे उस क्षति के लिए प्रतिकर देना होगा।

(२) कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा देय प्रतिकर की धनराशि उस मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसके समक्ष उक्त अपराध के सम्बन्ध में वह सिद्ध–दोष हुआ हो और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर की धनराशि अदा न किए जाने पर वह उक्त मैजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह धनराशि मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया कोई जुर्माना हो, जिस पर उसे अदा करने का दायित्व हो।

ख१. उ०प्र० अधिनियम संख्या २३, १९६१ की धारा २ (६) द्वारा प्रतिस्थापित।
ख२. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२ सन् १९६४ की धारा ६४ द्वारा निकाल दी गयी।

ख३. उ०प्र० अधिनियम संख्या २१, १९६४ की धारा २३ द्वारा जोड़ा गया।

ख४. उ०प्र० अधिनियम संख्या २३, १९६१ की धारा २ (७) द्वारा प्रतिस्थापित।
ख५. उ०प्र० अधिनियम संख्या १२, सन् १९६० की धारा १२ द्वारा निकाली गयी।